

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
32.12	पक्का आढतिया (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	सचिव, (संबंधित) कृषि उपज मंडी.	6 सप्ताह/ 42 दिवस.	संयुक्त/उप संचालक, संबंधित आंचलिक कार्यालय म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
32.13	प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	सचिव, (संबंधित) कृषि उपज मंडी.	6 सप्ताह/ 42 दिवस.	संयुक्त/उप संचालक, संबंधित आंचलिक कार्यालय म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
32.14	फल-सब्जी व्यापारी (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	सचिव, (संबंधित) कृषि उपज मंडी.	6 सप्ताह/ 42 दिवस.	संयुक्त/उप संचालक, संबंधित आंचलिक कार्यालय म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
32.15	फल-सब्जी पक्का आढतिया/कमीशन एजेंट (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	सचिव, (संबंधित) कृषि उपज मंडी.	6 सप्ताह/ 42 दिवस.	संयुक्त/उप संचालक, संबंधित आंचलिक कार्यालय म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.
32.16	फल-सब्जी प्रसंस्करणकर्ता/ विनिर्माता (मंडी क्रत्यकारी) की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण.	सचिव, (संबंधित) कृषि उपज मंडी.	6 सप्ताह/ 42 दिवस.	संयुक्त/उप संचालक, संबंधित आंचलिक कार्यालय म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	प्रबंध संचालक, म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2017

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी. 29.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा आयुष विभाग के अंतर्गत मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत आयुष विभाग के अंतर्गत म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
29.1	आयुष चिकित्सक का पंजीयन.	रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा	90 कार्य दिवस.	बोर्ड अध्यक्ष, म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं	30 कार्य दिवस.	सचिव, आयुष विभाग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड.		प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड.		
29.2	आयुष चिकित्सक का प्रोविजनल पंजीयन.	रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	बोर्ड अध्यक्ष, म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	सचिव, आयुष विभाग.
29.3	अन्य प्रदेश में पंजीयन के लिए NOC (No. Objection Certificate).	रजिस्ट्रार, म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	बोर्ड अध्यक्ष, म. प्र. आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड.	30 कार्य दिवस.	सचिव, आयुष विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरि रंजन राव, सचिव.